सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 17 अक्टूबर, 2003 ई0 आश्विवन 25, 1925 शक सम्वत् उत्तरांचल शासन लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग)

संख्या 249/नौ-1-सिं0 (स्थापना)/2003 देहरादून, 17 अक्टूबर, 2003

अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये पूर्व में निर्गत सभी आज्ञाओं/नियमों को निष्प्रभावी करते हुये, श्री राज्यपाल महोदय, लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग) उत्तरांचल की कनिष्ठ अभियन्ता, सेवा के पदों पर भर्ती, पदोन्नित करने एवं उसमें नियुक्त कमियों की सेवा शर्तें निर्धारित करने के लिये निम्निलिखित नियम बनाते हैं:-

उत्तरांचल लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग) कनिष्ठ अभियन्ता (समूह "ग") सेवा नियमावली, 2003

भाग एक-सामान्य

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -
 - (1) यह नियमावली उत्तरांचल लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग) कनिष्ठ अभियन्ता (समूह "ग") सेवा नियमावली, 2003 कहलायेगी।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- 2. सेवा की प्रास्थित-

उत्तरांचल, कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई (सिंचाई विभाग) की एक राज्य सेवा होगी जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

- 3. परिभाषायं -
 - जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में -
 - (अ) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे ऐसी नियुक्ति करने हेत् सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाय;
 - (ब) "समिति" का तात्पर्य चयन समिति से है जिसका गठन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है;
 - (स) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

- (द) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;
- (र) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य की सरकार से है;
- (ल) "सेवा के सदस्य" का तात्पर्य लघु सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता के अपने संवर्ग के किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से निय्क्त व्यक्ति से है;
- (व) "सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल कनिष्ठ अभियन्ता सेवा लघु सिंचाई विभाग (सिंचाई विभाग) समृह "ग" से है;
- (इ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य लघु सिंचाई विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता सेवा के अपने संवर्ग में किसी पद पर ऐसे नियुक्ति से हैं जो तदर्थ नियुक्ति न हों और नियमों के अनुसार चयन दवारा की गई हो;
- (च) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बाहर माह की अविध से है;
- (छ) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) सिंचाई विभाग से है;
- (ज) "मुख्य अभियन्ता" का तात्पर्य मुख्य अभियन्ता स्तर-2 से है;
- (झ) "मण्डल" का तात्पर्य लघु सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय/संस्थान से है;
- (क) "खण्ड" का तात्पर्य लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय अथवा समकक्ष संस्थान से है;

भाग दो - संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग-

सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या वह होगी जो परिशिष्ट (क) में दी गई है अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायेगी। परन्त

श्री राज्यपाल रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या उसे स्थगित रख सकते हैं जिस लिये कोई व्यक्ति प्रतिकर हकदार नहीं होगा।

भाग तीन - भर्ती

अर्ती के स्रोत -

सेवा में पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी -

- (क) कनिष्ठ अभियन्ता (लघ् सिंचाई)/हाईड्रम -
 - (1) 75 प्रतिशत सेवा में कनिष्ठ अभियन्ता की सीधी भर्ती परिशिष्ट "क" के स्तम्भ में विहित तकनीकी योग्यता धारक जिसमें कृषि/सिविल/यांत्रिक में योग्यता धारक के मध्य 50 : 30 : 20 के अनुपात में यथा स्थिति अभ्यर्थियों से की जायेगी।
 - (2) 25 प्रतिशत पदोन्नित ऐसे बोरिंग टैक्निशीयन/हाईड्रम टैक्निशीयन जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 10 वर्ष की सेवा इस रूप में पूर्ण कर ली हो तथा विहित अर्हतायें यथा स्थिति रखते हों, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नित द्वारा की जायेगी।
- 6. आरक्षण-

अनुस्चित जातियों, अनुस्चित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार - अर्हताएं

- 7. राष्ट्रीयता -
- (क) सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी -
 - (क) भारत का नागरिक हो, या
 - (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आये हों, या
 - (ग) भारतीय उद्दभव का, ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश-केन्या, युगाण्डा या यूनाईटेड रिपबल्कि ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो:

उपर्युक्त श्रणी (ख) या (ग) के अश्यर्थी को ऐसा होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार दवारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु, यह भी कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु, यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अविध के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अविध के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी-ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से ही इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनिन्तम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्षा में जारी कर दिया जाये।

- 8. शैक्षिक अर्हता -
 - किनष्ठ अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती हेतु परिशिष्ट-क के स्तम्भ-5 में विनिर्दिष्ट तकनीकी अर्हतायें होनी आवश्यक है।
- 9. अधिमानी अर्हताएं-
 - अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने-
 - (एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अविध तक सेवा की हो; या
 - (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो;
- 10. आय्-

सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष को जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु, यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

11. चरित्र- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अश्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके।

टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगें। नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगें।

12. वैवाहिक प्रास्थिति-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पतिनयां जीवित हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्मान हैं।

13. शारीरिक स्वस्थता -

किसी भी व्यक्ति सेवा के सदस्य के रूप में केवल तभी नियुक्त किया जायेगा जब उसका मानसिक तथा शरीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो और उसमें ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसके कारण उसे सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थी की सेवा में अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड 2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 10 के अधीन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी:

परन्तु पदोन्नित द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्ष नहीं की जायेगी।

भाग पांच - भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों की अवधारणा -

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सुचना चयन समिति को देगा।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया-

- (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा :-
 - (प) अधिष्ठान का मुख्य अभियन्ता अध्यक्ष
 - (पप) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (विभागाध्यक्ष) सदस्य
 - (पपप) अधीक्षण अभियन्ता (कार्मिक) संयोजक

उक्त में से यदि कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नहीं है तब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति का अधिकारी जो एक स्तर से निम्न का न हो, सदस्य रहेगा।

(2) रिक्तियों की सूचना चयन सिमिति के अध्यक्ष द्वारा समाचार-पत्रों में विज्ञापित की जायेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जायेंगें जो परिशिष्ट के स्तम्भ-5 में विनिर्दिष्ट तकनीकी अर्हता रखतें हों और जिनके नाम उत्तरांचल स्थित विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत हों।

- (3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास नियुक्त चयन समिति द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो।
- (4) चयन समिति द्वारा एक लिखित परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित विषयों में किया जायेगा :-

(अ) सम्बन्धित अभियन्त्रण शाखा विषय - 50 अंक

(ब) सामान्य ज्ञान - 20 अंक

(स) सामान्य हिन्दी - 20 अंक

(द) साक्षात्कार - 10 अंक

योग - 100 अंक

- (5) लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा, जितने इस सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार मे दिये गये अंक उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगें।
- (6) चयन समिति अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता-क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनाधिक) होगी चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी हो अग्रसारित करेगी।

पदोन्नति दवारा भर्ती की प्रक्रिया -

- (1) पदोन्नित द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तरांचल विभागीय समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 2003 के अनुसार गठित की जाने वाली चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।
- (2) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिनसे उनकी पदोन्नित की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17. संयुक्त चयन सूची -

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो एक संयुक्त सूची सुसंगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार लेकर तैयार की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का होगा।

<u>भाग छ:- नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता</u>

18. नियुक्ति-

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16, या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

- (2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियं सीधी भर्ती और पदोन्नित दोनों द्वारा की जानी है, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों सोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम-17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।
- (3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित किया जायेगा जैसा कि उस संवर्ग में हो जिसमें उन्हें पदोन्नत किया जाय। यह नियुक्यां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाती हैं तो नाम नियम-17 में निर्दिष्ट चक्रान्क्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

19. परिवीक्षा -

- (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक नियुक्त किसी व्यक्ति को दों वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगें अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अविध को बढा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अविध बढ़ायी जाये:

परन्तु, अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अविध एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी और किसी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।

- (3) यह परिवीक्षा अविध या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अविध के दौरान िकसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो िक परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं िकया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित िकया जा सकता है, और यह उसका िकसी पद पर धारणािधकार न हो तो उसकी सेवायं समाप्त की जा सकती हैं।
- (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

20. स्थायीकरण -

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा-अविध या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अविध के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि-

- (क) उसने विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;
- (ख) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो;
- (ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;
- (घ) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और
- (ड) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

21. ज्येष्ठता -

किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेंगी।

भाग सात - वेतन आदि

22. वेतनमान-

सेवा के संवर्ग में किसी पद पर, नियुक्त किसी व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान ऐसो होगा जो सरकार दवारा समय-समय पर अवधारित किया जाये;

- 23. परिवीक्षा अवधि में वेतन-
- (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने प्रशिक्षण की अविध को सिम्मिलित करते हुए एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अविध पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु, यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अविध बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अविध की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अविध में वेतन स्संगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ - अन्य उपबन्ध

24. पक्ष समर्थन-

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे निय्क्ति के लिए अनहीं कर देगा।

25. अन्य विषयों का विनियमन -

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होगें।

26. सेवा की शर्तों में शिथिलता -

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शतों को विनियमत करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां यह आयोग के परामर्श से उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शतों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्ति या शिथिल कर सकती है।

परन्तु यहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

27. व्यावृत्ति -

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं

पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट - 'क' (नियम-5 (क) देखिये)

क्र0सं0	पद का नाम	वेतनमान	पद की	तकनीकी अर्हता
			संख्या	
1	2	3	4	5
1.	कनिष्ठ अभियन्ता,	5000-8000	125	1-भारत में विधि द्वारा स्थापित
	लघु सिंचाई			किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त कृषि/
				सिविल/यांत्रिक अभियन्त्रण में तीन
				वर्षीय डिप्लोमा
				या
				2- अखिल भारतीय प्राविधिक
				शिक्षा परिषद द्वारा कृषि/सिविल/
				यांत्रिक अभियन्त्रण में प्रदत्त
				राष्ट्ररीय प्रमाण-पत्र

आजा से,

एम0 रामचन्द्रन, प्रमुख सचिव।